फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

मुकेश / कोमली

केस संख्या : 38/2025

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30/7/25	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/8/25 को पेश हो।	
	8/8/25	पत्रावली पेश हुई। व. फ. उप. पत्रावली स्थगित आदेश ..... अनुसार आगामी दिनांक 13/8/25 को पेश हो।	
	13/8/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1, 2, 4, 5, 7 ने आपत्ती जवाब पेश नहीं किया अतः जवाब का अवसर बन्द किया जाता है। उभयपक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई। विवादित आराजी में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण का आमलातरी हिस्सा निहित है जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। अप्रार्थीगण बिना विधिक क्रियाकर्म के विवादित आराजी को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं अतः उनको पाबंद किया जावे। प्रस्तुत तर्कों दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः वाद [illegible] को रोकने के लिए [illegible] अन्तरिम [illegible] निषेधाज्ञा [illegible] निरस्तरा तय [illegible] किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

16/2026